## न्यायालयः— आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी चन्देरी जिला—अशोकनगर म0प्र0

<u>दांडिक प्रकरण क—204 / 2015</u> <u>संस्थित दिनांक—19.08.2015</u>

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र चंदेरी जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

#### विरुद्ध

- 1. अब्दुल रहीस पुत्र अब्दुल हमीद उम्र 30 साल
- 2. अब्दुल हमीद पुत्र अब्दुल गनी उम्र 64 साल
- 3. अब्दुल जलील पुत्र अब्दुल हमीद उम्र 35 साल
- अब्दुल रसीद पुत्र अब्दुल हमीद उम्र 33 साल
- 5. अब्दुल अलील पुत्र अब्दुल हमीद उम्र 22 साल
- 6. सिताराबी पुत्री अब्दुल हमीद उम्र 20 साल
- 7. गुलचमन पत्नी अब्दुल हमीद उम्र 62 साल
- 8. इरफानाबी पत्नी अब्दुल जलील उम्र 32 साल
- 9. नाजमीन पत्नी अब्दुल रसीद उम्र 28 साल निवासीगण बाहर शहर कलारी मोहल्ला चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

..... अभियुक्तगण

# —: <u>निर्णय</u> :— (आज दिनांक 23.02.2018 को घोषित)

- 01— अभियुक्तगण के विरुद्ध भा0द0वि० की धारा 498(ए), 294, 323/34 तीन शीर्ष दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उन्होंने फरियादी समरजहां को दिनांक 30.04.2013 को उसकी शादी के पश्चात् बाहर शहर गरमाई बावडी के पास चंदेरी में उसके पित या पित के नातेदार होते हुये फरियादी समरजहां से एक मोटरसाईकिल तथा एलसीडी व जायदाद में हिस्से की मांग पूरी करने के लिये उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित कर कूरता कारित की एवं दिनांक 05.08.2015 को फरियादी समरजहां को लोक स्थान पर अश्लील गालिया देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी समरजहां को उपहित कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में तुम अभियुक्तगण ने फरियादिया समरजहां, अब्दुल वहीद एवं हक्कुल यकीन की लातघूंसों से मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहित कारित की।
- 02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि 30.04.2013 को हुआ था, फरियादिया के पिता ने अपनी हैसियत से लगभग 6 लाख रूपये का दहेज शादी में दिया था, शादी के तीन दिन बाद से ही सास गुलचमन ससुर हमीद पित अब्दुल रहीस जेठ अब्दुल जलील दूसरा जेठ अब्दुल रसीद जेंठानी इरफाना बी दूसरी जेठानी नाजमीन बी देवर अब्दुल अलीम व नंद सितारा बी फरियादिया को तरह—तरह से प्रताडित करने लगे व ससुराल के सभी लोग पित रहीस से फरियादिया की पिटाई करवाते थे, और कहते थे कि तू पिता की अकेली औलाद है अपने पिता से मोटर साइकिल व एल. सी. डी. टीवी लाकर दो व अपने पिता की

जायदाद अपने दामाद के नाम करवालें नहीं, तो हम तुझे ऐसे ही परेशान करते रहेंगें। फरियाादिया समरजहां के साथ अब्दुल रहीस ने कई बार मारपीट की, समरजहां को परेशान करने लगे और मारपीट करने से बंद नहीं की तो फरियादियां ने उक्त बात अपने परिवार वालों को बताईं।

- 03— फरियादिया के परिवार वालों ने दिनांक 05.08.2015 को सभी ससुराल के लोगों को गरमाई बाबडी पर बुलाया और कहा कि समरजहां को परेशान क्यों करते हैं, तो रहीस, हमीद, जलील, रसीद, अलीम ने यकीन, बहीद लातघूंसो से मारपीट की तथा गंदी—गंदी गालिया देने लगे तथा गुलचमन, इरफाना बी, सितारा बी एवं नाजमीन ने समरजहां की मारपीट की, जिससे सभी को चोटें आई। मौके पर मुसब्बर, सफात हुसैन आदि थे जिन्होने घटना देखी। फरियादी समरजहां द्वारा पुलिस थाना चंदेरी में अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम सूचना लेखबद्ध करने के लिये आवेदन प्र.पी.—01 प्रस्तुत किया था। फरियादिया के आवेदन पर से अभियुक्तगण के विरूद्ध पुलिस थाना चंदेरी के अपराध कमांक 277/2015 अंतर्गत धारा—498ए, 294, 323, 34 भा0द0वि0 के तहत् प्रकरण पंजीबद्ध कर प्र.पी.—02 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- 04— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि दिनांक 22.02.2018 को फरियादी समरजहां व आहत अब्दुल वहीद एवं हक्कुल यकीन द्वारा अभियुक्तगण से राजीनामा करने बाबत आवेदन अंतर्गत धारा 320 (1) व 320 (2) द.प्र.स. के प्रस्तुत किये गये जिन्हें स्वीकार करते हुये अभियुक्तगण को भा.द.वि. की धारा 294, 323/34 तीन शीर्ष के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया। अभियुक्तगण पर आरोपित भा0द0वि0 की धारा 498 (ए) शमनीय प्रकृति की न होने से उक्त धारा के तहत अभियुक्तगण पर विचारण किया गया।
- 05— अभियुक्तगण को उनके विरूद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा—313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उन्हें झूठा फंसाया गया है।
- 06- प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--
  - 1. क्या अभियुक्तगण ने फरियादी समरजहां को दिनांक 30. 04.2013 को उसकी शादी के पश्चात् बाहर शहर गरमाई बावडी के पास चंदेरी में उसके पित या पित के नातेदार होते हुये फरियादी समरजहां से एक मोटरसाईकिल तथा एल.सी.डी. एवं जायदाद में हिस्से की मांग पूरी करने के लिये उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित कर कूरता कारित की ?

2. दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

### -:: सकारण निष्कर्ष ::-

### विचारणीय प्रश्न कमांक 01 व 02 का विवेचन एवं निष्कर्ष:-

- 07— प्रकरण में हुये राजीनामे एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य को देखते हुये प्रकरण फरियादी समरजहां (अ0सा0—1) सिहत उसके पिता हक्कुन यकीन (अ0सा0—2), अब्दुल वहीद (अ0सा0—03) व शफात हुसैन (अ0सा0—04) के कथन न्यायालय में कराये गये। समरजहां (अ0सा0—1) का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि दिनांक 30.04.2013 को उसका विवाह अब्दुल रहीस से हुआ था। शादी के बाद एक साल तक वह ससुराल में अच्छे से रही थी तथा एक साल के बाद मामूली बातों पर उसका पित से झगडा होने लगा था जिस पर पित अब्दुल रहीस उसके साथ गाली—गलौच करता था और जब तीन वर्ष अब्दुल रहीस ने उसके साथ मारपीट कर दी तो उसके पिता हक्कुल यकीन (अ0सा0—02) ने उसे अपने पास बुला लिया था और तब से मायके में रह रही है तथा उसका पित उसे लेने नहीं आया।
- 08— समरजहां (30सा0—1) का कहना है कि उसके परिवार के लोगों ने इस संबंध में समाज के लोगों को जोड़ा था और जब कोई हल निकला तो उसके चाचा, फूफा व परिवार के अन्य लोगों ने थाने पर शिकायत करवा दी थी तथा उसके परिवार के लोगों ने ही थाने पर आवेदन प्र.पी.—01 बनाकर दिया था। जिस पर इस साक्षी ने अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार तो किये है, परन्तु उसका कहना है कि आवेदन न तो उसने लिखा था, उसके तो थाने पर हस्ताक्षर कराये गये थे।
- 09— समरजहां (अ०सा०—1) ने अपने उपरोक्त न्यायालीन कथनों में अभियुक्त अब्दुल रहीस को छोड़कर शेष किसी भी अभियुक्त के संबंध में कोई कथन न्यायालय में नही दिये है, वही अब्दुल रहीस के संबंध में भी इस साक्षी का मात्र इतना कहना है कि शादी के एक साल बाद छोटी—छोटी बातों पर उसका पित से झगडा होता है, जिसको लेकर पित उसके साथ गाली—गलौच करता था तथा उसके साथ मारपीट भी की थी। फरियादिया समरजहां (अ०सा०—1) का अपने उपरोक्त न्यायालीन कथनों में कहीं भी यह कहना नही है कि उसका पित सिहत अन्य अभियुक्तगण उसे दहेज की मांग के लिये प्रताडित करते थे या उक्त मांग को लेकर उसके साथ मारपीट करते थे, बिक्क इसके विपरीत समरजहां (अ०सा०—1) का यह कहना है कि वह एक साल ससुराल में अच्छी तरह से रही थी, उसे कोई परेशानी ससुराल में नही हुई।
- 10— समरजहां (अ०सा0—1) के द्वारा दिये गये उपरोक्त न्यायालीन कथन पूरी तरह से अभियोजन घटना के विपरीत है तथा इस साक्षी के न्यायालीन कथन एवं पुलिस को दिये गये कथन व प्र.पी.—01 के आवेदन में वर्णित में वर्णित घटना में गम्भीर तात्विक विरोधाभास देखा जा सकता है। अभियोजन का समर्थन न करने के कारण समरजहां (अ०सा0—1) को अभियोजन के द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर उसका विस्तारपूर्वक परीक्षण

किया गया, परन्तु समरजहां (अ०सा०—1) ने अभियोजन का लेषमात्र भी समर्थन नहीं किया।

- 11— समरजहां (अ0सा0—1) ने स्पष्ट रूप से इस बात का खण्डन किया है कि शादी के तीन दिन बाद ही आरोपीगण उसे दहेज की मांग को लेकर प्रताडित कर रहे थे तथा उसे पित से पीटवाते थे। इस साक्षी ने यह स्पष्ट कहना है कि आरोपीगण ने कभी उससे पिता के यहां से मोटरसाईकिल एवं एल.सी.डी. लाने की कभी कोई मांग नहीं की और जायदाद में हिस्सा मांगा और न उसने अपने परिवार को यह बताया था कि आरोपीगण दहेज के लिये उसे मानसिक रूप से प्रताडित करते है या मारपीट करते है। समरजहां (अ0सा0—1) का अभियोजन के विरुद्ध यह स्पष्ट कहना है कि प्र.पी.—01 का आवेदन उसके स्वयं नहीं लिखा, उसे किसने लिखा इसकी जानकारी नहीं है। उसके परिवार के लोगों ने आवेदन पर हस्ताक्षर कराये थे।
- 12— समरजहां (अ०सा0—1) के द्वारा न्यायालय में दिये गये कथनों से यह स्पष्ट होता है कि इस साक्षी के अनुसार अभियुक्तगण ने उसे दहेज की मांग को लेकर न तो कभी प्रताडित किया न ही उसके साथ कभी कोई मारपीट की, बल्कि उसका मात्र पित से मामूली बातों पर झगडा होता था। जिसके संबंध में उसके परिवार के लोगों ने थाने पर प्र.पी.—01 का आवेदन दिया था, जिसमें लिखी अंतरवस्तु की उसे जानकारी नहीं है, उसने मात्र थाने पर परिवार के लोगों के कहने पर हस्ताक्षर किये थे। समरजहां (अ०सा0—1) के पिता हक्कून यकीन (अ०सा0—02) ने भी अपने न्यायालीन कथनों में व्यक्त किया है कि शादी के बाद एक ढेड साल तक समरजहां का ससुराल वालों से कोई विवाद नहीं हुआ था उसकी मात्र अब्दुल रहीस से नहीं बनती थी और इसी कारण से झगडा होता था और इसी कारण से उसकी लडकी उसके पास निवास रही है।
- 13— हक्कूल यकीन (अ०सा०—02) ने अपने मुख्यपरीक्षण में अभियोजन के समर्थन में आरोपित अपराध के संबंध में कोई कथन न देते हुये मात्र अपनी लडकी का पित के साथ इस बात पर विवाद होना बताया है कि उसकी लडकी पित से नहीं बनती थीं। फिरयादियां के चाचा अब्दुल वहीद (अ०सा०—03) का भी अपने कथनों में यही कहना है कि समरजहां (अ०सा०—1) की अब्दुल वहीद से नहीं बनती थी और इसी बात पर विवाद और झगडा होता था। इन दोनों ही साक्षियों का कहीं भी यह कहना नहीं है कि अभियुक्तगण ने दहेज की मांग के लिये उसकी लडकी को कभी भी प्रताडित कर उसके साथ मारपीट की थी। सुफात हुसैन (अ०सा०—04) अपने न्यायालीन कथनों में घटना की जानकारी होने से इन्कार करता है तथा पुलिस को भी कोई बयान न देना बताता है।
- 14— हक्कूल यकीन (अ०सा०—02), अब्दुल वहीद (अ०सा०—03) व सफात हुसैन (अ०सा०—04) के द्वारा आरोपित अपराध के संबंध में अभियोजन का समर्थन न करने के कारण अभियोजन के द्वारा इन साक्षियों को पक्ष विरोधी कर उनका विस्तृत परीक्षण किया गया, जिसमें इन साक्षियों ने अभियोजन का लेषमात्र भी समर्थन नही किया था। हक्कूल यकीन व अब्दुल वहीद (अ०सा०—03) का स्पष्ट कहना है कि आरोपीगण ने कभी भी मोटरसाईकिल या एल.सी.डी. की दहेज के रूप में कोई मांग फरियादी ने नही की और न

ही इस कारण से उसे प्रताडित किया और न ही इस संबंध में समरजहां (अ०सा०–1) ने उन्हें कुछ बताया। यह साक्षी भी पुलिस को कथन देने से ही इन्कार करता है।

- 15—अतः अभिलेख पर आई साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि प्र.पी.—01 का आवेदन स्वयं फरियादिया समरजहां के द्वारा हस्ताक्षरित कर थाने पर दिया गया, परन्तु आवेदन में वर्णित घटना अपने आप में मात्र आवेदन प्रदर्शित होने से साबित नहीं होती है, क्योंकि प्र. पी.—01 का आवेदन अपने आप में घटना का निश्चायक साक्ष्य नहीं है, उसे मौखिक साक्ष्य से साबित किया जाना आवश्यक था, परन्तु अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षियों में से फरियादी सहित किसी भी साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया तथा अभियोजन घ । इना के विरुद्ध न्यायालय में कथन दिये हैं। समरजहां (अ0सा0—1) के अनुसार जहां उसके पित से मामूली बातों पर विवाद हुआ था, वहीं हक्कूल यकीन (अ0सा0—02) व अब्दुल वहीद (अ0सा0—03) के अनुसार मात्र इसी मामूली विवाद पर से समरजहां (अ0सा0—1) अपनी मर्जी से मायके में रह रही थी। इन सभी साक्षियों का एक राय होकर कहना है कि आरोपीगण ने न तो कभी दहेज की कोई मांग की और न ही समरजहां (अ0सा0—1) को आरोपीगण ने दहेज की मांग के लिये प्रताडित किया और न ही इस संबंध में थाने पर रिपोर्ट की गई।
- 16—फरियादी समरजहां (अ०सा0—1) अपने न्यायालीन कथनों में अभियोजन कहानी के विरूद्ध ऐसी किसी भी घटना के घटित होने से इन्कार करती हैं जिसमें अभियुक्तगण ने उसे दहेज के लिये उसे प्रताडित कर दहेज की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट की । यहां तक फरियादिया प्र0पी0 1 के आवेदन एवं प्र.पी.—02 की रिपोर्ट में क्या लिखा है, इसकी जानकारी न होने के साथ ऐसी कोई भी घटना पुलिस को लेख कराने से इन्कार करती है। वहीं उसका पिता हक्कूल यकीन (अ०सा0—02) व चाचा अब्दुल वहीद (अ०सा0—03) भी समरजहां (अ०सा0—1) के कथनों के सामान ही न्यायालय में अभियोजन केविरूद्ध कथन देते हुये मात्र फरियादिया का पित से मामूली बातों पर विवाद होना बताते है।
- 17—अतः ऐसे में अभिलेख पर अभियुक्तगण के विरूद्ध इस आशय की कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है कि अभियुक्तगण ने शादी के बाद कभी भी फरियादी समरजहां को दहेज के रूप में मोटरसाईकिल एवं एल.सी.डी. लाने के लिये या जायदाद में हिस्सा लाने के लिये प्रताडित किया या उसके साथ उक्त कारण से मारपीट की थी। फरियादी का स्वयं यह कहना है कि वह अपनी मर्जी से मायके में रह रही है। अतः अभिलेख पर जो साक्ष्य उपलब्ध है उसके अनुसार अभियुक्त और फरियादी के मध्य पित—पत्नी के बीच होने वाले वैचारिक मतभेद एवं घरेलू विवाद थे। अब देखा ये जाना है कि वास्तव में ऐसे विवाद भा0द0वि0 की धारा 498 (ए) के अपराध की श्रेणी में आते है अथवा नही।
- 18—यहां भा0दं0वि0 की धारा 498 (ए) का उल्लेख किया जाना उचित होगा। धारा 498 (ए) के अनुसार— जो कोई, किसी स्त्री का पित या पित का नातेदार होते हुए, ऐसी स्त्री के प्रित कूरता करेगा, वह कारावास से, जिसकी अविध तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दिण्डत किया

जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण:-इस धारा के प्रयोजनों के लिये, "कूरता" से निम्नलिखित अभिप्रेत है-

- (क) जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे उस स्त्री को आत्महत्या करने के लिये प्रेरित करने की या उस स्त्री के जीवन, अंग या स्वास्थ्य को (जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक) गम्भीर क्षति या खतरा कारित करने की सम्भावना है; या
- (ख) किसी स्त्री को इस दृष्टि से तंग करना कि उसको या उसके किसी नातेदार को किसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की कोई मांग पूरी करने के लिये प्रपीडित किया जाए या किसी स्त्री को इस कारण तंग करना कि उसका कोई नातेदार ऐसी मांग पूरी करने में असफल रहा है।
- 19— धारा 498 (ए) में उल्लेखित शब्द कूरता को स्पष्ट करने के लिये उक्त धारा के स्पष्टीकरण में दो खण्ड (क) तथा (ख) का उल्लेख किया गया है अतः ऐसे में धारा 498 (ए) के अपराध के लिये यह अभिनिर्धारित किया जाना है कि उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर कूरता खण्ड (क) के अधीन आती है या खण्ड (ख) के अधीन, या दोनो खण्डो की अधीन आती है। अभिलेख पर फरियादी सहित अन्य किसी भी साक्षी ने ऐसे कोई कथन नही दिये हैं जिससे यह दर्शित होता हो कि अभियुक्त के द्वारा फरियादी के साथ किया गया आचरण फरियादी अफसाना (अ०सा0—1) को आत्महत्या करने के लिये या जीवन, अंग या स्वास्थ्य को (जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक) गम्भीर क्षति या खतरा उत्पन्न करता हो।
- 20—पति—पत्नी के मध्य वैचारिक मतभेद एवं मामूली घरेलू विवाद वैवाहिक जीवन का एक भाग होता है अतः ऐसे मामूली विवाद 498 (ए) के स्पष्टीकरण के ,खण्ड क की श्रेणी में नहीं आते। जहां तक स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) का प्रश्न है तो स्वयं फरियादी सहित अन्य साक्षियों ने इस बात का खण्डन किया है कि अभियुक्त ने शादी के बाद समरजहां (अ0सा0—1) से कभी भी दहेज की कोई मांग की।
- 21—अभिलेख पर इस आशय की कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि अभियुक्तगण ने फरियादी समरजहां (अ0सा0—1) के साथ जानबूझकर ऐसा कोई आचरण किया जिससे फरियादी आत्महत्या करने के लिये प्रेरित हो या फरियादी के जीवन, अंग या मानसिक अथवा शारीरिक रूप से गम्भीर क्षिति या खतरा कारित करने की सम्भावना थी। वहीं फरियादी सहित अभियोजन साक्षियों के द्वारा अभियोजन के समर्थन में कथन ने देने से अभिलेख पर इस आशय की भी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि अभियुक्त ने फरियादी समरजहां (अ0सा0—1) को या उसके पिता को दहेज की कोई मांग पूरी करने के लिये प्रपीडित किया अथवा उक्त कारण से फरियादी को तंग किया कि फरियादी के परिवार से ऐसी मांग पूरी करने में असफल रहा है।
  - 22—परिणामस्वरूप अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर

अभियोजन यह साबित करने में सफल नहीं हुआ कि अभियुक्तगण समरजहां (अ०सा०—1) कि शादी के बाद से दिनांक 30.04.2013 से 05.08.2015 की अविध के मध्य बाहर शहर गरमाई वाबड़ी के पास ससुराल में फिरयादी के पित अथवा पित के नाते दार होते हुये, फिरयादी समरजहां (अ०सा०—1) से दहेज में मोटरसाईकिल, एलसीड़ी, व जायदाद में हिस्से की मांग करते हुये उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसके साथ

23—फलतः अभियुक्तगण अब्दुल रहीस पुत्र अब्दुल हमीद, अब्दुल हमीद पुत्र अब्दुल ग्नी, अब्दुल जलील पुत्र अब्दुल हमीद, अब्दुल रसीद पुत्र अब्दुल हमीद,अब्दुल अलील पुत्र अब्दुल हमीद, सिताराबी पुत्री अब्दुल हमीद, गुलचमन पत्नी अब्दुल हमीद, इरफानाबी पत्नी अब्दुल जलील, नाजमीन पत्नी अब्दुल रसीद को भा.द.वि. की धारा 498 (ए) के आरोप प्रमाणित न होने से अभियुक्तगण अब्दुल रहीस पुत्र अब्दुल हमीद, अब्दुल हमीद पुत्र अब्दुल गनी, अब्दुल जलील पुत्र अब्दुल हमीद, अब्दुल हमीद, अब्दुल रसीद पुत्र अब्दुल गनी, अब्दुल जलील पुत्र अब्दुल हमीद, अब्दुल रसीद पुत्र अब्दुल हमीद, इरफानाबी पत्नी अब्दुल जलील, नाजमीन पत्नी अब्दुल रसीद को भा.द.वि. की धारा 498 (ए) के तहत् दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष मुक्त घोषित किया जाता है।

24—अभियुक्तगण धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। अभियुक्तगण के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। प्रकरण में जुप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

कूरता कारित की ।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)